



Peer Reviewed/  
Refereed Journal

ISSN - PRINT-2231-3613/DLNE2455-8729  
International Educational Journal

**CHETANA**

Impact Factor SJIF=4.157



Received on 3<sup>rd</sup> Mar. 2019, Revised on 8<sup>th</sup> Mar. 2019; Accepted 16<sup>th</sup> Mar., 2019

शोध पत्र

## समावेशी शिक्षा में शैक्षिक चुनौतियाँ

\* खुशलता श्रीमाली

सहायक आचार्य (शिक्षा)

माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)

Email – shrimalik11982@gmail.com

**मुख्य शब्द** – साक्षरता, समावेशी आदि।

### 1. प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य वहाँ के बालकों में निहित होता है, अतः बालकों को शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य होता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के कानून बनने के बाद शत-प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सरकार कटिबद्ध है। अतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों की सरकारें विभिन्न शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं परन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को उनका लाभ अपेक्षित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 की अनुशंसाओं के अनुसार हमारे देश में समावेशित शिक्षा का सम्प्रत्यय विकसित किया जाना है, इस हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु वांछित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। जब तक पूर्ण शैक्षणिक सुविधाएँ प्रत्येक विशिष्ट विद्यार्थी को प्राप्त नहीं होगी तब तक राष्ट्र के श्रेष्ठ विकास एवं निर्माण की परिकल्पना अधूरी रहेगी। अतः शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता से विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक विकास होगा तथा राष्ट्र के निर्माण में विशिष्ट विद्यार्थी भी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा जिससे उसमें भी उत्साह एवं आत्मविश्वास बढ़ेगा।

समाज में आत्म-सम्प्रत्यय, समायोजन, सम्बलन, आत्म-विश्वास जाग्रत करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। विशिष्ट विद्यार्थियों को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध न होने पर वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें आत्म-विश्वास की कमी हो जाती है जो सामाजिक स्तर पर एक समस्या बनकर सामने आती है।

बालक विशिष्ट प्रकृति का हो या सामान्य प्रकृति का उसकी शैक्षिक एवं सामाजिक भावनाएँ समान होती है वह शिक्षा प्राप्त करके उन्नति करना चाहता है, अतः बालकों को उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए लेकिन विद्यालय में संसाधनों का अभाव एवं शिक्षकों की रुचि के अभाव में विशिष्ट बालकों का शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाता है। प्रस्तुत शोध आलेख में राजकीय शहरी एवं ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

### 2. समस्या कथन

समावेशी शिक्षा में शैक्षिक चुनौतियाँ।

3. शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किए गए—

1. राजकीय ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
2. राजकीय शहरी माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. राजकीय ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शून्य परिकल्पना

1. राजकीय ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक चुनौतियों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

5. परिसीमन

1. क्षेत्र – प्रस्तुत शोध कार्य उदयपुर जिले के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) से संबंधित माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।
2. जनसंख्या – प्रस्तुत शोध कार्य दिव्यांग/विशिष्ट (मूक, बधिर, दृष्टि बाधित, अस्थि विकलांगता इत्यादि) के संदर्भ में सीमित रखा गया है।

6. न्यादर्श

उदयपुर जिले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अधीन संचालित शहरी राजकीय एवं ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में से यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के माध्यम से 5 शहरी एवं 5 ग्रामीण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। चयनित विद्यालयों के 10 प्रधानाध्यापकों (5 शहरी एवं 5 ग्रामीण) का सोद्देश्य प्रतिचयन विधि से एवं 50 अध्यापकों (25 शहरी एवं 25 ग्रामीण) का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के माध्यम से किया गया।

7. पारिभाषिक शब्दावली

- 7.1 **समावेशी शिक्षा** – समावेशी शिक्षा से तात्पर्य उस औपचारिक शिक्षा पद्धति की विद्यालय शिक्षा से है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहाँ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करते हुए सामाजिकता का विकास कर समाज की मूल धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं।
- 7.2 **चुनौतियाँ** – राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)–2005 की अनुशंसानुसार सामान्य विद्यालयों में समावेशित शिक्षा का सम्प्रत्यय विकसित किया जाना है परन्तु भारतीय सामाजिक परिदृश्य में समावेशित शिक्षा को विद्यालयों में लागू करने में विभिन्न स्तरों (समाज, विद्यालय, परिवार, अभिभावक, विद्यार्थी इत्यादि) पर आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए विद्यालयों में समावेशित शिक्षा का सम्प्रत्यय विकसित करने हेतु

प्रयासरत रहना है; सफलता प्राप्ति हेतु समस्याओं के साथ संघर्ष करने की इस प्रक्रिया को चुनौतियों के संदर्भ में देखा गया है।

#### 8. शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित स्वनिर्मित शोध उपकरणों का उपयोग किया गया—

- (1) समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ विषयक प्रश्नावली – अध्यापकों हेतु।
- (2) साक्षात्कार अनुसूची प्रपत्र – प्रधानाध्यापकों हेतु।

#### 9. सांख्यिकीय प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य में दत्तों का विश्लेषण करने हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य का उपयोग किया गया।

#### 10. दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या

प्राप्त दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार की गई—

##### तालिका संख्या-1

##### 10.1 समावेशी शिक्षा आधारित शैक्षिक चुनौतियों के संदर्भ में मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान

विद्यालय	अध्यापकों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान का अंतर	मानक त्रुटि	'टी' मान	परिणाम
शहरी राजकीय विद्यालय	25	3.00	1.06	0.12	0.33	0.37	कोई सार्थक अंतर नहीं
ग्रामीण राजकीय विद्यालय	25	3.12	1.24				

स्वतंत्रता के अंश (df) = 48

0.05 स्तर पर सारणीमान = 2.01

##### व्याख्या

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि समावेशी शिक्षा लागू करने में राजकीय शहरी विद्यालयों एवं राजकीय ग्रामीण विद्यालयों में शैक्षिक चुनौतियाँ (प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों पर शिक्षणेत्तर कार्यभार, आनुपातिक शिक्षकों की उपलब्धता, विशिष्ट पाठ्यक्रम, शैक्षिक वातावरण में कृत्रिमता अनुभव होना) विषयक दत्तों के मध्य संगणित 'टी' मान 0.37 प्राप्त हुआ जो कि सारणी मान (.05 स्तर पर 2.01) से कम है।

उपर्युक्त दत्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजकीय शहरी विद्यालयों एवं राजकीय ग्रामीण विद्यालयों में शैक्षिक चुनौतियों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है, अर्थात् दोनों प्रकार के विद्यालयों में शैक्षिक चुनौतियाँ समान स्तर पर पायी जाती है।

10.2 शून्य परिकल्पना की जाँच – इस शोध हेतु पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना कि 'राजकीय ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक चुनौतियों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।' स्वीकार की गई।

**10.3 समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ** – प्रधानाध्यापकों के मतानुसार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग/विशिष्ट विद्यार्थियों को सामान्य अध्यापकों द्वारा शिक्षण करवाने में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों दोनों को कठिनाई महसूस होती है क्योंकि सामान्य अध्यापक इस प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षण करवाने हेतु प्रशिक्षित नहीं होते हैं। विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहता है। शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, ब्लेक बोर्ड, बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें आदि सामग्री का अभाव रहता है। पाठ्यक्रम भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अनुकूल नहीं होता है जिससे इन विद्यार्थियों को पढ़ाने में समस्या महसूस होती है। शिक्षकों पर कार्यभार अधिक होने की वजह से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जा सकता है। विद्यालयों की वर्तमान स्थिति के अनुसार सामान्य विद्यार्थियों के लिए आनुपातिक स्तर पर भी पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध शिक्षकों में से भी समय-समय पर कुछ शिक्षकों को विभिन्न गैर-शैक्षणिक कार्यों (जनगणना, मतदान, पोलियो इत्यादि) में सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में समावेशित शिक्षा का सम्प्रत्यय विकसित करना असंभव अनुभूत होता है।

## 11. निष्कर्ष एवं विवेचना

दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं कि—

1. राजकीय ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने में आने वाली शैक्षिक चुनौतियों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है, अर्थात् दोनों प्रकार के विद्यालयों में चुनौतियाँ समान स्तर पर पायी जाती हैं।
2. दिव्यांग/विशिष्ट विद्यार्थियों को शिक्षण करने हेतु राजकीय शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है।
3. राजकीय ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर शिक्षण से इतर अधिक कार्यभार होने के कारण अध्यापक दिव्यांग/विशिष्ट विद्यार्थियों पर पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं।
4. राजकीय ग्रामीण विद्यालयों में उपलब्ध विद्यार्थियों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है।
5. राजकीय शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में दिव्यांग/विशिष्ट विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम (ब्रेल लिपि वाली पाठ्य-पुस्तकें, बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें) उपलब्ध नहीं हैं।
6. सामान्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सामान्य विद्यार्थियों एवं दिव्यांग/विशिष्ट विद्यार्थियों को एक साथ बिठाकर पढ़ाने में समस्याएँ अनुभूत होती हैं।
7. सामान्य प्रशिक्षित शिक्षकों को दिव्यांग/विशिष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने में शैक्षिक वातावरण कृत्रिम, औपचारिक एवं नाटकीय महसूस होता है।

## 12. उपसंहार

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार विद्यालयों में समावेशी शिक्षण का सम्प्रत्यय विकसित किया जाना अपेक्षित है। इस अनुशंसा की क्रियान्विति में विभिन्न स्तरों पर आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन किया गया। इसके लिए राजकीय शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों से दत्तों का संकलन किया गया। दत्त विश्लेषणोपरान्त यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि राजकीय शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में समावेशी शिक्षा विषयक चुनौतियाँ पायी जाती हैं। अतः इन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा लागू करने से पूर्व आवश्यक

शैक्षिक एवं भौतिक व्यवस्थाएँ प्रशासनिक स्तर पर उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित है तभी समावेशी शिक्षा का सम्प्रत्यय विकसित किया जा सकता है।

13. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Best, J.W. and Kahan Jones V. (1996) Research in Education, New Delhi : Prentice Hall Private Limited.
2. Garret, H.E. (1992) Statistics in Psychology and Education, Bombay : Allied Pacific Pvt. Ltd.
3. Karlinger, F.N. (1994) Foundation of Behavioural Research, New York: Halt Reinehart and Winston.
4. कपिल, एच. के. (2006) सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
5. नारंग, के. सी. (2000) समोवशी शिक्षा, नई दिल्ली : सूर्या प्रकाशन।
6. गैरेट, ई. हेनरी (2007) शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी, नई दिल्ली : कल्याणी पब्लिशर्स।
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) एन.सी.ई.आर.टी., प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

**\* Corresponding Author:**

**खुशलता श्रीमाली**, सहायक आचार्य (शिक्षा)  
माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)  
Email – [shrimaliki1982@gmail.com](mailto:shrimaliki1982@gmail.com)